Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
October to December 2025, E-Journal, Vol. I, Issue LII (52), ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

छत्तीसगढ़ राज्य में भूमि उपयोग एवं सिंचाई : एक भौगोलिक अध्ययन

डॉ. घनश्याम नागे*

* अतिथि व्याख्याता (भूगोल) शा.पं.जवाहर लाल नेहरु कला एवं विज्ञान स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बेमेतरा (छ.ग.) भारत

शोध सारांश – प्रस्तुत अध्ययन द्धितीयक आँकड़ों पर आधारित है। अध्ययन क्षेत्र में ग्रामीण वन 46,25,200 हेक्टेयर क्षेत्र में विस्तृत है। यह पृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का 38.21 प्रतिशत है। अध्ययन क्षेत्र में सबसे अधिक वन दक्षिणी क्षेत्र के अंतर्गत नारायणपुर जिले में 86.17 प्रतिशत है। सबसे कम वन दुर्ग, बेमेतरा व रायपुर जिला में आते हैं, जहां वन क्षेत्र प्रतिशत शून्य है। कृषि के लिए अप्राप्त भूमि का क्षेत्रफल 10,38,069 हेक्टेयर है, जो कुल क्षेत्रफल का 8.57 प्रतिशत है। अकृषि कार्यों में लगी भूमि का प्रतिशत 6.5 तथा ऊसर एव पथरीली भूमि का प्रतिशत 2.39 है। ऊसर एवं गैर कृषि भूमि का सबसे अधिक प्रतिशत (8.04) दंतेवाड़ा में तथा सबसे कम (0.002) बेमेतरा जिला में है। कृषि कार्यों के लिए जो भूमि उपलब्ध नहीं है,उनमें सबसे अधिक प्रतिशत(17.90) रायपुर जिला का है, और सबसे कम (0.45) नारायणपुर व कोण्डागांव (1.87) में है। अध्ययन क्षेत्र में पडती के अतिरिक्त अन्य भूमि 12,66,393 हेक्टेयर है। यह पृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का 10.47 प्रतिशत है। चरागाह और घास का मैदान 89,3,656 हेक्टेयर है। यह पृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का 7.39 प्रतिशत है। झाड़ियों के झुण्ड तथा बाग का क्षेत्र 2,706 हेक्टर है। यह क्षेत्रफल का 0.02 प्रतिशत है। इसी तरह कृषि योग्य बेकार भूमि 37,00,32 हेक्टेयर हैं। यह क्षेत्रफल का 3.06 प्रतिशत है। पडती भूमि का क्षेत्र 54,5,816 हेक्टेयर है। यह क्षेत्रफल का 4.51 प्रतिशत है। अध्ययन क्षेत्र में फसलों का निराक्षेत्रफल 46,29,677 हेक्टेयर है। यह पृष्ठ के क्षेत्रफल का 38.24 प्रतिशत है। समतल मैदानी क्षेत्र में निरा बोया गया क्षेत्र अधिक है एवं जहां वनों की अधिकता तथा ढाल युक्त भूमि है वहां निरा बोया गया क्षेत्र न्यूनतम है। अध्ययन क्षेत्र के भूमि उपयोग प्रतिरूप में काफी भिन्नता है। छत्तीसगढ़ राज्य अपने विषम पहाड़ी व पठारी उच्चावच के कारण तालाबों द्धारा सिंचाई के लिए अधिक उपयुक्त है परंतु हाल के वर्षों में यहां नहरें और नलकूपों द्धारा सिंचाई अधिक लोकप्रिय हो रही है। अध्ययन क्षेत्र में नहरों की संख्या भले ही कम है लेकिन इनके द्धारा सिंचित क्षेत्र प्रतिशत (56.16) सबसे अधिक है। सरकार द्धारा अध्ययन क्षेत्र में किसानों को नलकूप संचालन हेतु सस्ते दामों पर एवं समुचित मात्रा में बिजली, पेट्रोल, डीजल की उपलब्धि कराकर कृषि भूमि उपयोग प्रतिरूप में परिवर्तन लाया जा सकता है। फसलों के निराक्षेत्रफल प्रतिशत में वृद्धि की जा सकती है।इसके अतिरिक्त सरकार द्धारा ग्रामीण क्षेत्र में उपलब्ध तालाबों एवं बांधों का पांच – छह वर्षों के नियमित अन्तराल पर गहरीकरण करवाना आवश्यक है। इससे सिंचित क्षेत्र प्रतिशत में वृद्धि किया जा सकता है।

शब्द कुंजी – अकृषिभूमि, वन, पड़ती, निराक्षेत्र सिंचाई।

प्रस्तावना – भूमि मानव का सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है,जो कृषि सहित सभी विकास कार्यों के लिए मूलभूत आधार प्रदान करता है। भूमि पर ही मानव विभिन्न क्रियाकलाप करता है। वस्तुत: भूमि उपयोग भौगोलिक अध्ययन का एक महत्वपूर्ण परिवर्तनशील पक्ष है, जो प्रारम्भिक काल से ही मानव प्रविधि विकास क्रम के अनुसार परिवर्तित होता रहा है। भूमि उपयोग न केवल कृषि के क्षेत्र में अपितु नगरीय विकास एवं प्रादेशिक नियोजन में भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। भौगोलिक अध्ययन में भूमि का प्रयोग क्षेत्र, प्रकृति, उत्पादन कारक, उपभोग पदार्थ, स्थिती, संपत्ति तथा पूंजी के रूप में किया जाता है। भूमि की विशेषताओं के आधार पर भूमि का उपयोग विभिन्न रूपों में किया जाता है। इस प्रकार भूमि को विभिन्न श्रेणियों या वर्गो में विभाजित कर दिया जाता है। इस वर्गीकरण के अनेक आधार हो सकते हैं, जैसे भौतिक प्राकृतिक व सामाजिक व्यवस्थाएँ आदि। वर्तमान में बढ़ती हुई जनसंख्या तथा ज्ञान –विज्ञान में प्रगति के कारण भूमि उपयोग की सीमाओं में बहुत अधिक परिवर्तन होते जा रहे है।

कृषि को प्रभावित करने वाले कारकों में सिंचाई का महत्वपूर्ण स्थान है। भारत जैसे देशों में विशेषत: जहां वर्षा अपर्याप्त तथा अविश्वसनीय है सिंचाई का अधिक महत्व है। सिंचाई कृषि का एक आधारभूत निर्धारक तत्व इसलिए भी है, कि वर्षा की अपर्याप्तता विशेषत: शुष्क कृषि वाले क्षेत्रों में कृषि उत्पादन में बड़ी बाधा है। परम्परागत कृषि में सिंचाई का महत्व केवल वर्षा की कमी तथा सुखे के प्रकोपों से सुरक्षात्मक भूमिका के रूप में रहा है किंतु अधिक उपज वाले उन्नत बीजों, रासायनिक उर्वरकों तथा बहुफसली कृषि को अपनाने से नियंत्रित सिंचाई उत्पादकता वृद्धि में प्रधान कारक बन गई है। देश के विभिन्न क्षेत्रों में विरल तथा अनिश्चित वर्षा के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने में सिंचाई महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। स्वतंत्रता के पश्चात पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि के साथ–साथ सिंचाई पर अत्यधिक ध्यान दिया गया और यह काम आज भी जारी है। आज देश के विस्तृत क्षेत्रों में नहरों ,नलकूपों, कुओं, तालाबों , तथा अनेक बड़े बांधों और सैकड़ो मध्यम एवं छोटी सिंचाई योजनाओं को क्रियान्वित किया गया है । यही कारण है कि वर्तमान में भारत के विस्तृत क्षेत्र में सिंचाई की जाती है ,किंतु अभी भी इस दिशा में बहुत काम किया जाना बाकी है। इसलिए विभिन्न योजना कालों में सूखाग्रस्त क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधाओं के विस्तार पर विशेष ध्यान दिया गया। विभिन्न राज्यों में सिंचाई की सुविधाओं तथा सिंचाई के विकास

के स्तरों में प्रादेशिक विभिन्नताएं दृष्टिगोचर होती है। किसी भूमि का उपयोग किस सीमा तक किया जा रहा है कि उस प्रतिरूप को जानना भी आवश्यक है साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में प्रादेशिक स्तर पर भूमि उपयोग तथा सिंचाई के साधनों एवं सिंचित क्षेत्र प्रतिरूप में बहुत अधिक विभिन्नता पाई जाती है। इस विभिन्नता के कारणों को जानने तथा क्षेत्र के समग्र विकास के लिए अध्ययन करना अत्यन्त आवश्यक है।

अध्ययन क्षेत्र – प्रस्तुत शोध अध्ययन का क्षेत्र छत्तीसगढ राज्य है। यह मध्यप्रदेश के दक्षिण – पूर्व में 17°43' उत्तरी अक्षांश से 24°5' उत्तरी अक्षांश तथा 80°15' पूर्वी देशांतर से 84°20'पूर्वी देशांतर रेखाओं के मध्य स्थित है। इसका कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 1,35,194 वर्ग किलोमीटर है। 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की कुल जनसंख्या 2,55,45,198 है। यह देश का 2.11 प्रतिशत है। जिसमें पुरुष जनसंख्या 1,28,32,895 तथा महिला 1,27,12,303 है। राज्य में अनुसूचित जाति जनसंख्या 12.81 प्रतिशत तथा जनजाति 30.62 प्रतिशत है। यहां जनसंख्या वृद्धि दर 22.61 प्रतिशत है ,जो पिछले दशक में 18.06 प्रतिशत थी। राज्य में साक्षरता दर 72.28 प्रतिशत है।

अध्ययन का उद्देश्य :

1. अध्ययन क्षेत्र में भूमि – उपयोग प्रतिरूप का पता लगाना।
2. अध्ययन क्षेत्र में सिंचाई के विभिन्न साधनों की संख्या एवं सिंचित क्षेत्र का पता लगाना।
3. भूमि उपयोग एवं सिंचाई से संबंधित समस्याओं का पता लगाकर सुझाव हेतु नियोजन प्रस्तुत करना।

विधितंत्र – प्रस्तुत अध्ययन द्वितीयक ऑकड़ों पर आधारित है। इस अध्ययन हेतु कृषि सांख्यिकी सारणी पुस्तिका (वर्ष 2020–22), कार्यालय आयुक्त भू–अभिलेख रायपुर छत्तीसगढ़ से ऑकड़ों का संकलन कर विश्लेषण कर अध्ययन किया गया है। भूमि उपयोग प्रतिरूप के अध्ययन के लिए वर्ष 2020 से 2022 तक के आंकड़ों का औसत ज्ञात कर विश्लेषण किया गया है। अध्ययन क्षेत्र में केवल सिंचाई के लिए उपयोग में आने वाले विभिन्न स्रोतों की संख्या एवं विभिन्न स्रोतों द्वारा सिंचित क्षेत्र को हेक्टेयर एवं प्रतिशत में बताया गया है।

अध्ययन क्षेत्र में भूमि उपयोग वितरण – किसी प्रदेश की संपूर्ण भूमि का विभिन्न कार्यों के लिए किया जाने वाला उपयोग भूमि उपयोग कहलाता है। ग्रेट ब्रिटेन में प्रथम भूमि उपयोग सर्वेक्षण 1930 में सर डडले स्टाम्प ने करवाया था। इसमें समस्त भूमि को 6 भूमि उपयोग श्रेणियां में विभक्त किया गया था। द्वितीय भूमि उपयोग सर्वेक्षण 1960 में आरंभ हुआ जिसमें भूमि को 13 श्रेणियां में विभक्त किया गया है। इस प्रकार स्पष्ट है, कि भूमि उपयोग के अंतर्गत समस्त भूमि का वर्गीकरण विभिन्न कार्यात्मक श्रेणियों के अनुसार किया जाता है।

भारत में ग्रामीण भूमि उपयोग की विभिन्न श्रेणियां इस प्रकार है –

1. वन,
2. बंजर तथा कृषि अयोग्य भूमि,
3. गैर कृषि उपयोग हेतु प्रयुक्त भूमि
4. कृषि योग्य बंजर भूमि
5. स्थायी चरागाह एवं पशुचारण,
6. वृक्षों एवं झाड़ियों के अंतर्गत भूमि,
7. चालू पडती
8. अन्य पडती
9. शुद्ध बोया गया क्षेत्र और
10. एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्र।

अध्ययन क्षेत्र में वनों का वितरण – मानव के हस्तक्षेप के बिना प्राकृतिक रूप से उगने वाले पेड़ पौधे को प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। वन प्राकृतिक संसाधन है जिसका राष्ट्रीय महत्व है। वनों का महत्व इनसे होने वाले प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ से भी स्पष्ट होता है। किसी प्रदेश की प्राकृतिक वनस्पति का निर्धारण उस स्थान की जलवायु के द्वारा होता है। अध्ययन क्षेत्र में ग्रामीण वन का प्रतिनिधि वृक्ष बबूल है। चरागाह एवं सड़क ,नदी तथा तालाब के किनारे आम ,इमली ,पीपल, नीम, बरगद ,आवला,बेर, आदि प्रमुख है। अध्ययन क्षेत्र के उत्तरी एवं दक्षिणी क्षेत्रों में इमरती वृक्षों की बहुलता पाई जाती है। इन वृक्षो में साल, सागौन , सरई, शीशम, हर्रा, बहेड़ा, आदि प्रमुख है।

अध्ययन क्षेत्र वन संपदा की दृष्टि से संपन्न राज्य है। अध्ययन क्षेत्र में वनों का औसत क्षेत्रफल 46,25,200 हेक्टेयर है। यह कुल क्षेत्रफल का 38.21 प्रतिशत है। अध्ययन क्षेत्र में सबसे अधिक वन राज्य के दक्षिणी क्षेत्र नारायणपुर जिला में है। यहां 88.17 प्रतिशत क्षेत्र में वन है। दूसरे क्रम में कोरिया जिला 58.77 प्रतिशत तीसरे क्रम में धमतरी 48.02 प्रतिशत इसके बाद क्रमश: गरियाबंद 45.77 प्रतिशत, सूरजपुर 44.25 प्रतिशत, मुंगेली 40.39 प्रतिशत क्षेत्र में वन है। दुर्ग एवं बेमेतरा जिला में वन क्षेत्र की स्थिति शून्य है। रायपुर जिले में 0.43 प्रतिशत क्षेत्र में वन है। अध्ययन क्षेत्र में वनों का वितरण अत्यधिक असमान है जिसका कारण यहां की प्राकृतिक परिस्थितियां है। विशेषतया जलवायु एवं उच्चावच की विविधता ने वनों के वितरण को प्रभावित किया है।

सारणी क्र. 1 (अन्तिम पृष्ठ पर देखे)

कृषि भूमि के लिए अप्राप्त भूमि – अध्ययन क्षेत्र में कृषि भूमि के लिए अप्राप्त भूमि का कुल क्षेत्रफल 10,38,069 हेक्टेयर है, जो पृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का 8.57 प्रतिशत है। इस वर्ग में भूमि उपयोग को दो वर्गों में रखा गया है। अकृषि कार्यों में लगी भूमि ऊसर एवं कृषि के अयोग्य भूमि है। अकृषि कार्यों में लगी भूमि 6.5 प्रतिशत तथा ऊसर एवं पथरीली भूमि का प्रतिशत 2.39 है। अकृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि के अंतर्गत भूमि उपयोग अधिवास,जलाशय, परिवहन के मार्गों ,उद्योग एवं खानों को सम्मिलित किया जाता है। अध्ययन क्षेत्र में इस प्रकार के भूमि के विस्तार में किसी भी क्षेत्र की सांस्कृतिक उन्नति एवं आर्थिक समृद्धि का आकलन किया जा सकता है।

ऊसर एव कृषि के अयोग्य भूमि के अंतर्गत अनूपजाऊ पथरीली दलदली एवं उबड –खाबड चट्टानी भूमि सम्मिलित की जाती है। राज्य के दक्षिणी क्षेत्र दंतेवाड़ा जिले में ऊसर व गैर मुमकिन भूमि का प्रतिशत सबसे अधिक 8.04 प्रतिशत है। इसके बाद उत्तर पूर्वी क्षेत्र जशपुर जिले में 8.14 प्रतिशत उत्तरी–मध्यवर्ती क्षेत्र कोरबा में 4.33 प्रतिशत तथा बस्तर का 3.28 प्रतिशत क्षेत्र ऊसर एवं गैरमुमकिन भूमि के अंतर्गत सम्मिलित है।

पडती के अतिरिक्त अन्य अकृषि क्षेत्र – पडती के अतिरिक्त अन्य अकृषि क्षेत्र के अंतर्गत भूमि को तीन उपविभागों में रखा गया है। स्थायी चरागाह एवं अन्य घास के क्षेत्र, झाड़ियों के झुण्ड तथा बाग एवं कृषि योग्य बेकार भूमि आदि सम्मिलित है।

पडती के अतिरिक्त अन्य भूमि का क्षेत्र 12,66,393 हेक्टेयर है। यह पृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का 10.47 प्रतिशत है। स्थायी चरागाह एवं घास के

क्षेत्र का विस्तार 7.39 प्रतिशत है। झाड़ियों के झुण्ड तथा बाग का क्षेत्र मात्र 0.02 प्रतिशत एवं कृषि योग्य बेकार भूमि 3.06 प्रतिशत है। राज्य के उत्तरी क्षेत्र बलरामपुर जिला में मुस्तकील व दीगर चरागाह क्षेत्र सबसे अधिक 14.65 प्रतिशत है। इसके बाद मध्यवर्ती क्षेत्र रायपुर जिला में 12.26 प्रतिशत दक्षिणी क्षेत्र कांकेर 10.43 प्रतिशत तथा उत्तरपूर्वी–मध्यवर्ती क्षेत्र के अंतर्गत रायगढ़ 10.28 प्रतिशत जांजगीर चांपा 8.48 प्रतिशत है। सबसे कम दंतेवाड़ा 1.24 तथा बीजापुर 1.36 प्रतिशत है।

इन जिलों में चरागाह का क्षेत्र सबसे कम है जो वर्तमान पशुओं की संख्या को भरण पोषण में सहायता पहुंचाने में असमर्थ है। इसके अतिरिक्त जनसंख्या की वृद्धि के कारण चरागाह एवं घास के क्षेत्र में निरंतर कमी होती जा रही है।

झाड़ियों के झूण्ड तथा बाग के अंतर्गत क्षेत्र (भूमि) में छोटे–छोटे गुच्छेदार पेड़ छायादार वृक्ष सम्मिलित किए जाते हैं, जो निराफसली क्षेत्र में सम्मिलित नहीं होते हैं। इसके अंतर्गत 2,706 हेक्टेयर क्षेत्र है जो पृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का 0.02 प्रतिशत है। क्षेत्र के नारायणपुर ,दंतेवाड़ा बीजापुर, रायगढ़ एवं सरगुजा जिलों में झाड़यों के झुण्ड तथा बाग क्षेत्र का क्षेत्र निरंक है ।

कृषि योग्य बेकार भूमि – इस वर्ग में वे भूमि सम्मिलित होती है, जो कृषि योग्य है, लेकिन भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक बाधाओं के कारण इनमें कृषि नहीं की जाती है। ये छोटे–छोटे पेड़ पौधों से ढके होते हैं, जो कृषि भूमि के बीच भूखण्डों में स्थित है। अध्ययन क्षेत्र में कृषि योग्य बेकार भूमि का क्षेत्रफल 3,70,032 हेक्टेयर है। यह पृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का 3.06 प्रतिशत है। राज्य के दक्षिणी एवं मध्यवर्ती क्षेत्र में कृषि योग्य पड़ती भूमि अधिक है। इसके अंतर्गत सबसे अधिक सुकमा 10.36 प्रतिशत, दंतेवाड़ा 8.74, रायपुर 7.52 तथा दुर्ग 4.84 प्रतिशत क्षेत्र है। राज्य के दक्षिणी क्षेत्र वनांचल एवं पहाड़ी एवं पठारी क्षेत्र होने के कारण इस प्रकार की भूमि का क्षेत्र अधिक है। सबसे कम कृषि योग्य पड़ती भूमि उत्तरी –पूर्वी क्षेत्र सरगुजा, बलरामपुर, सूरजपुर, कोरिया एवं जशपुर में हैं। यहाँ कृषि योग्य भूमि का क्षेत्र प्रतिशत शून्य है।

अध्ययन क्षेत्र में भूस्वामित्व का अत्यधिक बटवारा खेतों को छोटे–छोटे भागों में विभाजित करता है। इन छोटे या बहुत छोटे खेतों में कृषि करने में कठिनाई होती है। परिणामस्वरुप यह कृषि योग्य बेकार भूमि में परिवर्तित हो जाता है ।

सारणी क्र. 02 (अन्तिम पृष्ठ पर देखे)

पडती भूमि – जिस भूमि को भूतकाल में कृषि कार्य हेतु उपयोग में लाई जाती थी,परन्तु पिछले कुछ वर्षो से(1–5 वर्ष तक) यह भूमि अस्थायी रूप से अकृषि भूमि के रूप में पडती भूमि की अंतर्गत रखी जाती है। अध्ययन क्षेत्र में पडती भूमि का क्षेत्रफल 5,45,816 हेक्टेयर है। यह पृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का 4.51 प्रतिशत है ।

राज्य के दक्षिणी क्षेत्र(दंतेवाड़ा जिला,) में वन खनिज एवं पहाड़ी क्षेत्र होने के पड़ती भूमि का क्षेत्र सबसे अधिक (9.22 प्रतिशत) है। इसके बाद उत्तरी–मध्यवर्ती क्षेत्र में रायगढ़ 6.81, जशपुर 6.70 तथा उत्तरी क्षेत्र के अंतर्गत सरगुजा 6.06 बलरामपुर 5.26, कोरिया 5.36 प्रतिशत तथा मध्यवर्ती क्षेत्र रायपुर जिला में पड़ती भूमि का प्रतिशत 5.68 है।

अध्ययन क्षेत्र में फसलों का निराक्षेत्रफल – अध्ययन क्षेत्र में फसलों का निराबोया गया क्षेत्र 46,29,677 हेक्टेयर है। यह पृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का 38.24 प्रतिशत है। अध्ययन क्षेत्र के विभिन्न जिलों में निराफसली क्षेत्र के वितरण में काफी भिन्नता है। निराफसली क्षेत्र का वितरण मिट्टी की उर्वरता से संबंधित है। निराफसली क्षेत्र का प्रतिशत सबसे अधिक बेमेतरा में (79.15), दुर्ग (64.06), जांजगीर (58.42) ,रायपुर (56.58), बलौदाबाजार–भाटापारा (51.47) तथा महासमुंद 52.60 प्रतिशत है। नारायणपुर तथा बीजापुर जिला में फसलों का निराक्षेत्र प्रतिशत सबसे कम है। यहाँ क्रमश: 3.59 तथा 12.36 प्रतिशत है।

समतल मैदानी क्षेत्र में निराबोया गया क्षेत्र अधिक है एवं जहां वनों की अधिकता है तथा ढाल युक्त भूमि है वहां निरा बोया गया क्षेत्र न्यूनतम है। असमतल धरातल के कारण कृषि का विस्तार कम है। सिंचाई सुविधाओं वाले भागों में दो फसली क्षेत्र अधिक है। दो फसली क्षेत्र की कमी का प्रमुख कारण कृषि की मानसून पर निर्भरता तथा सिंचाई सुविधाओं का अभाव है।

अध्ययन क्षेत्र में सिंचाई – छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है। अत: राज्य की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने तथा प्रतिकूल मौसम में कृषि उत्पादन बढ़ाने में सिंचाई का महत्वपूर्ण योगदान है। प्रदेश की मानसूनी वर्षा सिंचाई की आवश्यकता को बढ़ा देती है। सिंचाई के साधनों द्वारा वर्षा की अनिश्चितता से उत्पन्न समस्याओं का सामना किया जा सकता है। अत: अध्ययन क्षेत्र में लंबे समय से सिंचाई की आवश्यकता का अनुभव होता रहा है। वर्ष 1991 में भारतीय सिंचाई आयोग ने भी इसे स्वीकार किया है। इसके सुझाव अनुसार छत्तीसगढ़ में सिंचाई साधनों का विकास प्रारंभ किया गया। सन 1920 से 1940 की समयावधि में प्रगति हुई है किंतु अभी भी सिंचाई की आवश्यकता क्षेत्र में बनी हुई है।

अध्ययन क्षेत्र में सिंचाई के लिए उपयोग में आने वाले साधनों की संख्या एवं वितरण प्रतिरूप – अध्ययन क्षेत्र में सिंचाई के साधनों में नहरें प्रमुख हैं। इसके अलावा नलकूप, तालाब, कुएँ एवं अन्य स्रोतों से सिंचाई की जाती है। प्रदेश में क्षेत्रवार सिंचाई के साधनों के प्रतिशत में बहुत अधिक असमानता मिलती है। प्रदेश में नहरो की संख्या 0.21 प्रतिशत, नलकूपों की संख्या 72.54, तालाबों की संख्या 5.31 प्रतिशत, कुओं की संख्या 21.83 प्रतिशत तथा जलाशयों की संख्या 0.21 प्रतिशत है।

नहरें – भारत में नहर सिंचाई का दूसरा महत्वपूर्ण साधन है जिससे लगभग 23.7प्रतिशत शुद्ध सिंचित क्षेत्र लाभान्वित होता है। भारत में विश्व का सबसे बड़ा नहर तंत्र है जिसकी लंबाई 1 लाख किलोमीटर से अधिक है। देश का 63% से अधिक नहर सिंचित क्षेत्र उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, बिहार ,मध्य प्रदेश एवं पंजाब राज्यों में अवस्थित है।

सारणी क्र. 3: छत्तीसगढ़ सिंचाई के साधन एवं सिंचित क्षेत्र हेक्टेयर

छ.ग. सिंचाई के स्त्रोत	सिंचाई के साधनो की संख्या	सिंचित क्षेत्र (हे.)	सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत
नहरो की संख्या	1,048	9,53,753	45.92
नलकूपों की संख्या	3,47,115	10,81,960	52.07
कुएँ (सिंचाई)	10,45,59	1,37,55	0.67
तालाबों की संख्या	2,54,57	2,71,06	1.30
जलाश्यों की संख्या	1,008	1,008	0.04
योग	**4,79,187**	**20,77,582**	**100**

स्त्रोत:–कृषि सांख्यिकी ,आयुक्त भू–अभिलेख, छ.ग. रायपुर

इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र ,कर्नाटक ,उड़ीसा, तमिलनाडु एवं छत्तीसगढ़ में देश का 27 प्रतिशत से अधिक नहर सिंचित क्षेत्र पाया जाता है। मध्य

प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य अपने विषम पहाड़ी पठारी उच्चावच के कारण तालाबो द्वारा सिंचाई के लिए अधिक उपयुक्त है परंतु हाल के वर्षो में यहां नहरें और नलकूपों द्वारा सिंचाई अधिक लोकप्रिय हो रही है। अध्ययन क्षेत्र में नहरों की संख्या भले ही कम है लेकिन इनके द्वारा सिंचित क्षेत्र प्रतिशत (56.16) सबसे अधिक है ।

अध्ययन क्षेत्र में सबसे ज्यादा नहरों की संख्या दंतेवाड़ा एवं कोरिया जिले में है। यहां इनका प्रतिशत क्रमश: 1.30 व 1.02 है। विशेष आदिवासी बहुल क्षेत्र होने एवं साथ ही राज्य एवं केंद्र सरकार की योजनाओं द्वारा लाभान्वित होने के कारण कारण यहां पर नहरों की संख्या भले ही अधिक है लेकिन नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्र कम है। नहरों की संख्या सबसे कम बेमेतरा जिला में है। यह क्षेत्र समतल मैदानी भू-भाग होने के कारण व भूमिगत जल की समीपता के कारण नलकूपों की संख्या अधिक है ।

अध्ययन क्षेत्र के मुंगेली ,धमतरी ,बलौदाबाजार-भाटापारा व कोंडागाँव आदि क्षेत्रों में नहरों की संख्या 0.01 से 0.06 प्रतिशत के मध्य है। रायपुर ,दुर्ग महासमुंद ,बालोद ,गौरेला पेंड्रा-मरवाही , जांजगीरचांपा एवं सूरजपुर जिले में नहरो की संख्या 0.10 से लेकर 0.18 के मध्य हैं। इसी तरह अध्ययन क्षेत्र के बिलासपुर, सरगुजा, बलरामपुर ,कांकेर ,बस्तर तथा कबीरधाम जिले में नहरों की संख्या 0.20 से लेकर 0.28 प्रतिशत तक है। अध्ययन क्षेत्र के शेष जिलों जशपुर, रायगढ़, कोरबा, सुकमा, नारायणपुर राजनांदगाँव तथा गरियाबंद जिले में नहरों की संख्या 0. 33 से लेकर 0.73 प्रतिशत तक है। राज्य के समतल मैदानी क्षेत्र सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र (जांजगीर-चांपा 86.45 रायपुर 80.8 बलौदा बाजार 72.97 धमतरी 72.97 बालोद 70.907 बिलासपुर 63.18 मुंगेली 73 प्रतिशत दुर्ग 57.26 प्रतिशत) है।

यहां नहरों के विकास के लिए अधिक सुविधाएँ होने के कारण यहां सिंचित क्षेत्र प्रतिशत अधिक है। इसके विपरीत उत्तरी एवं दक्षिणी क्षेत्र पहाड़ी एवं पठारी होने के कारण नहरों द्वारा अपेक्षाकृत कम सिंचित है ।

नलकूपों का वितरण – भारत में आज नलकूप सिंचाई का सबसे लोकप्रिय साधन है। इनकी शुरुआत सन 1930 में हुई और नियोजित विकास के साथ लघु सिंचाई कार्यक्रम के अंतर्गत गंगा के मैदान में इनका बेधन शुरू किया गया। आज देश में सरकारी और निजी नलकूपों की संख्या 45 लाख से अधिक है। निजी नलकूप एक किसान के लिए सिंचाई का बड़ा उपयोगी, सुविधाजनक और भरोसेमंद साधन है। इसको लगाने का खर्च एक औसत किसान वहन कर सकता है। हमारे देश में उत्तर प्रदेश में नलकूपो की संख्या सर्वाधिक है ।

अध्ययन क्षेत्र में नलकूपों की संख्या 72.44 प्रतिशत है। क्षेत्र में सबसे ज्यादा नलकूपों की संख्या कबीरधाम जिले में है। यहाँ नलकूपों की संख्या 99.47 प्रतिशत है। दूसरे क्रम में नारायणपुर 97.07 व बेमेतरा 97.06, तथा तीसरे क्रम में धमतरी जिला(97 प्रतिशत) का स्थान आता है। यह जिला नदी बेसिन के आस पास के कारण यहां संख्या अधिक है। सबसे कम (3.55 प्रतिशत) नलकूपों की संख्या जशपुर तथा बलरामपुर जिला में (9.18 प्रतिशत) है। यह उत्तरी पहाड़ी पठारी क्षेत्र एवं पाट प्रदेश होने के कारण नलकूपों की संख्या कम है। अध्ययन क्षेत्र के गरियाबंद जिला में नलकूपों की संख्या 90.15 प्रतिशत, रायपुर जिला में 90.19, कोंडागांव में 91.80 प्रतिशत, दुर्ग जिले में 92.22 दंतेवाड़ा में 93.82, महासमुंद में 94.99 ,बालोद में 94.84 तथा कांकेर में 95.43 प्रतिशत है। अध्ययन क्षेत्र के शेष जिलों में नलकूपों की संख्या बहुत ही कम है। यहां नलकूपों की संख्या 22.54 से लेकर 88.19 प्रतिशत तक है। इसके अंतर्गत गौरेला पेंड्रामरवाही 22.54 कोरबा 22.95, सूरजपुर 30.02 ,सरगुजा 34.36 बीजापुर 46.46, सुकमा 62.61 प्रतिशत है। बस्तर जिला में 74.50 प्रतिशत, बिलासपुर 78.23, जांजगीर 62.98 रायगढ़ 64.46 एवं मुंगेली 88.19 प्रतिशत हैं।

अध्ययन क्षेत्र में नलकूपों द्वारा सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र के अंतर्गत जिलों में क्रमश: नारायणपुर 100 प्रतिशत दंतेवाड़ा 97.81 कांकेर 95.59 तथा बेमेतरा 93.51 एवं कबीरधाम 81.03 सुकमा 79.25, महासमुंद (71.35 प्रतिशत) का स्थान आता है। इन जिलों में सिंचाई की अन्य सुविधाओं की कमी के कारण नलकूपों का द्वारा सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत अधिक है।

अध्ययन क्षेत्र में तालाबों की संख्या एवं सिंचित क्षेत्र वितरण प्रतिरूप – देश में तालाबों द्वारा सिंचाई मुख्यत: दक्षिणी प्रायद्वीप के पूर्वी भाग में अधिक लोकप्रिय है जहां की धरातलीय उच्चावच कठोर उबड़-खाबड़ निचले पठारी भागों में मौसमी नदियों को बांधकर या ग्रामीणों द्वारा श्रमदान कर सिंचाई की स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए खुदाई कर तालाब बनवाया जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य के दक्षिणी क्षेत्रों में विशेष कर सिंचाई के लिए उपयोग में आने वाले तालाबों की संख्या अधिक है। अध्ययन क्षेत्र में तालाबो द्वारा सिंचित क्षेत्र 2,710.6 हेक्टेयर है। यह कुल सिंचित क्षेत्र का 1.30 प्रतिशत है। अध्ययन क्षेत्र में सिंचाई के लिए उपयोग में आने वाले तालाबों की संख्या 5.31 प्रतिशत है। प्रदेश में तालाबों की संख्या सबसे ज्यादा बीजापुर जिले में 46.35 प्रतिशत है। यह तालाबों की अधिकता के कारण तालाबो द्वारा सिंचिंत क्षेत्र प्रतिशत सबसे अधिक है 96.53 प्रतिशत क्षेत्र तालबों से सिंचित होता है। दूसरे स्थान पर सबसे अधिक तालाबों की संख्या सुकमा 35.95 प्रतिशत तथा तीसरे स्थान पर जांजगीर चांपा 25.27 एवं कोरबा मे संख्या 24.20 प्रतिशत है। सबसे कम तालाबों की संख्या कबीरधाम जिले में है। यहां तालाबों की संख्या शून्य है। राज्य के कबीरधाम, नारायणपुर मुंगेली,जिलों में तालाबो द्वारा सिंचित क्षेत्र प्रतिशत शून्य है। धमतरी, दुर्ग, बालोद, नारायणपुर तथा कोंडागांव जिले में तालाबों की संख्या एक प्रतिशत से भी कम है। इन जिलों में तालाबों की संख्या कम होने की कारण सिंचाई के लिए अन्य साधनों का उपयोग किया जाता है।

सारणी क्र. 4 (अन्तिम पृष्ठ पर देखे)

अध्ययन क्षेत्र मे कुओं की सख्या एवं सिंचाई वितरण प्रतिरूप – कुआं धरातल में एक छोटा छिद्र है जिसमें से सिंचाई और पीने के लिए भौम जल निकाला जाता है। यह एक सस्ता ,भरोसेमंद और लोकप्रिय सिंचाई का साधन है। कुआं उन क्षेत्रों में लोकप्रिय है जहां पर्याप्त भौम जल उपलब्ध है और जल स्तर की गहराई 15 मीटर से अधिक नहीं पाई जाती है।

भारत में सबसे अधिक कुएं पंजाब से बिहार तक गंगा के मैदान में पाए जाते हैं। इसके अलावा पूर्वी राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र ,मध्यप्रदेश, तमिलनाडु , आंध्रप्रदेश एवं कर्नाटक में इनका भरपूर वितरण पाया जाता है। अध्ययन क्षेत्र में कुएँ के जल का उपयोग सिंचाई हेतु किया जाता है। कुएँ के द्वारा सिंचित क्षेत्र 13,755 हेक्टेयर है। यह कुल सिंचित क्षेत्र का 0.67 प्रतिशत है। तालाबों की ही भांति कुओं द्वारा सिंचाई में कई कठिनाइयां हैं उनकी निर्भरता भौम जल संसाधन पर है जिसका वितरण पूरे देश में एक सा नहीं है। अध्ययन क्षेत्र के उत्तरी एवं दक्षिणी पहाड़ी पठारी क्षेत्रों में कुआं खोदना अपेक्षाकृत कठिन है। भौम जल के अधिक दोहन और गिरते जल स्तर के कारण प्रथम संस्तर से जल अधिग्रहण करने वाले अधिकांश कुएँ

सुख जा रहे हैं। भौम जल के अंधाधुन्ध अनियोजित निकासी से आगे आने वाले दिनों में भयंकर जल संकट की संभावना है ।

अध्ययन क्षेत्र में सिंचाई के लिए उपयोग में आने वाले कुओं की संख्या 21.83 प्रतिशत है। अध्ययन क्षेत्र में सबसे अधिक कुओं की संख्या जशपुर जिले में 91.05 प्रतिशत प्रथम स्थान पर है। द्वितीय स्थान बलरामपुर जिला 85.83 प्रतिशत तृतीय स्थान सूरजपुर जिला जहां संख्या 66.57% है। अर्थात राज्य के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में कुओं की अधिकता है। अध्ययन क्षेत्र के कबीरधाम जिला में कुओं की संख्या सबसे कम 0.11 प्रतिशत है। अध्ययन क्षेत्र में जहां सिंचाई के लिए उपयोग में आने वाले कुओं की संख्या अत्यंत कम है, उनमें नारायणपुर जिला 0.73 कांकेर 0.76 सुकमा 0.87 प्रतिशत है। अध्ययन क्षेत्र के शेष जिलों में कुओं की संख्या का प्रतिशत 1.39 से लेकर 51.92 प्रतिशत है। अध्ययन क्षेत्र में कुओं से सबसे अधिक सिंचित जिला जशपुर है। यहां कुओं से 15.76 प्रतिशत क्षेत्र सिंचित होता है। इसके बाद सूरजपुर 14.21, बलरामपुर 12.87, कोरबा 7.24, सरगुजा 6.29, एवं गोरेल्ला पेंडरा – मरवाही का 5.19 प्रतिशत क्षेत्र कुओं द्वारा संचित होता है। अत: राज्य के उत्तरी– पूर्वी क्षेत्र में कुओं की अधिकता के कारण सिंचित क्षेत्र प्रतिशत अधिक है। राज्य के अधिकांशत: जिलों में कुओं द्वारा सिंचित क्षेत्र 1% से भी कम है ।

जलाशयों की संख्या एवं वितरण प्रतिरूप – अध्ययन क्षेत्र में जलाशयों द्वारा सिंचित क्षेत्र 1,008 हेक्टेयर है। यह कुल सिंचित क्षेत्र का 0.4 है। अध्ययन क्षेत्र में जलाशयों की संख्या 0.21 प्रतिशत है। अध्ययन क्षेत्र के कोरिया जिले में इनकी संख्या सबसे अधिक 0.89 प्रतिशत है। इसके बाद नारायणपुर 0.73 राजनांदगांव तथा गरियाबंद 0.43 एवं रायगढ़ 0.42 प्रतिशत है। अध्ययन क्षेत्र के दंतेवाड़ा सुकमा, बीजापुर आदि क्षेत्रों में जलाशयों की कमी है। अध्ययन क्षेत्र में सिंचाई एवं उद्योग आदि के लिए वृहत स्तर पर जलाशयों का निर्माण किया गया है।

अध्ययन क्षेत्र में प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं – प्रदेश में कृषि एवं उद्योग क्षेत्र को निरंतर जल उपलब्ध कराने की उद्देश्य से क्षमता आधार पर विभिन्न सिंचाई परियोजनाएं स्थापित की गई है। प्रदेश में सर्वप्रथम सिंचाई परियोजना महानदी एवं धमतरी जिले में स्थापित किया गया था। प्रदेश में सिंचाई के लिए तीन (वृहद मध्यम और लघु) परियोजनाएं हैं।

छत्तीसगढ़ में स्थापित 8 प्रमुख वृहद सिंचाई परियोजनाएं हैं। तांदुला परियोजना बालोद जिला में तांदुला नदी पर, संजय गांधी (खारंग) परियोजना अध्ययन क्षेत्र के रतनपुर, बिलासपुर जिला के खारंग नदी पर ,राजीव गांधी (मनियारी) परियोजना खुडिया, मुंगेली जिला में मनियारी नदी पर, मिनीमाता (हसदो बांगो) परियोजना कोरबा जिला में हसदो नदी पर, सिकासर परियोजना गरियाबंद जिला में पैरी नदी पर, जोक व्यपवर्तन परियोजना महासमुंद जिला में जोक नदी पर, वीरनारायण सिंह (कोडार) परियोजना महासमुंद जिला में कोडार नदी पर, पंडित रविशंकर (महानदी) परियोजना धमतरी जिला में महानदी पर परियोजनाएं स्थापित है।

इसके अतिरिक्त अध्ययन क्षेत्र में निर्माणाधीन 4 वृहद सिंचाई परियोजनाएं भी सम्मिलित है। इन परियोजनाओं में सोढूर धमतरी जिला में सोढूर नदी पर, अरपा भैंसाझार कोटा, बिलासपुर जिला में अरपा नदी पर, समोदा व्यपवर्तन परियोजना रायपुर जिले में महानदी पर, दिलीप सिंह जूदेव (केलो) परियोजना रायगढ़ जिला में केलो नदी पर निर्माणाधीन है। महानदी सिंचाई परियोजना की कुल सिंचाई क्षमता 2.64 लाख हेक्टेयर, मिनीमाता हसदो बांगो परियोजना, कोरबा की सिंचाई क्षमता 4,20,580 हेक्टेयर , राजीव गांधी कुड़िया परियोजना मुंगेली की सिंचाई क्षमता 11515 हैकटेयर, संजय गांधी खारंग परियोजना बिलासपुर की सिंचाई क्षमता 8300 हैकटेयर तथा इसी तरह स्वर्ग की दिलीप शिव जयदेव खेलो परियोजना रायगढ़ की सिंचाई क्षमता 22810 हेक्टेयर है। अध्ययन क्षेत्र में बृहद स्तर पर सिंचाई परियोजनाएं निर्मित होने के बावजूद भी सिंचाई के लिए पर्याप्त नहरो की व्यवस्था नहीं हो पाया है।

निष्कर्ष एवं सुझाव – अध्ययन क्षेत्र में ऊसर एव कृषि के अयोग्य भूमि है जो अनुपयोगी पथरीली दलदली व उबड – खाबड है को कृषि योग्य भूमि में परिवर्तित किया जा सकता है। दलदलीय भूमि में वन रोपण कर भूमि को उपयोगी बनाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त असमतल भूमि को समतल कर कृषि योग्य भूमि में परिवर्तित किया जा सकता है। असमतल व पहाड़ी– पठारी भूमि में काजू आदि फलोद्यान की कृषि का विकास कर धीरे–धीरे भूमि को फसली क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित कर सकते हैं। भूस्वामित्व संबंधी बटवारा प्रथा को समाप्त कर भूमि को कृषि योग्य बनाया जा सकता है। पड़ती भूमि में रासायनिक उर्वरकों एवं देशी गोबर खाद का उपयोग कर फसलों के निराक्षेत्र प्रतिशत में वृद्धि की जा सकती है। चरागाह एवं घास के क्षेत्र जो जनसंख्या वृद्धि के कारण मानव अधिवास के रूप में परिवर्तित हो रहे हैं। जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण कर रोका जा सकता है। जिससे पशुओं के जीवन–यापन के लिए वे क्षेत्र उपयुक्त बने रह सकते हैं और पशु भी वातावरण के अनुकूल रह सकते हैं। सरकार द्वारा क्षेत्र में किसानों को नलकूप संचालन हेतु सस्ते दामों पर एवं समुचित मात्रा में बिजली, पेट्रोल, डीजल की उपलब्धि कराकर कृषि भूमि उपयोग प्रतिरूप में परिवर्तन लाया जा सकता है। फसलों के निराक्षेत्रफल प्रतिशत में वृद्धि की जा सकती है। अध्ययन क्षेत्र में बृहद स्तर पर सिंचाई परियोजनाएं निर्मित होने के बावजूद भी सिंचाई के लिए पर्याप्त नहरों का विकास नहीं हो पाया है। इसके अतिरिक्त कुछ क्षेत्र में अत्यधिक सिंचाई जलग्नता और लवणता की समस्याएं भी पैदा कर रही है। इसके लिए भूमि में आवश्यक दवावों का छिड़काव कर इस समस्या का निराकरण किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में उपलब्ध तालाबों एवं बांधों का पांच–छ: वर्षों के नियमित अन्तराल पर गहरीकरण करवाना आवश्यक है। इससे सिंचित क्षेत्र प्रतिशत में वृद्धि किया जा सकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची:–

1. कृषि सांख्यिकी सारणी, कार्यालय आयुक्त भू– अभिलेख, छत्तीसगढ़ ,रायपुर, वर्ष, 2020–22.
2. गौतम, अलका, 2019, कृषि भूगोल, शारदा पुस्तक भवन, पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, यूनिवर्सिटी रोड इलाहाबाद, पृष्ठ क्रमांक 119,148.
3. गौतम शिवानंद, संसाधन और पर्यावरण, भारत का भूगोल तथा प्रयोगात्मक भूगोल, रामप्रसाद एण्ड संस आगरा पृष्ठ क्र. 315–318
4. तिवारी, आर. सी., 2019, भारत का भूगोल ,प्रवालिका पब्लिकेशंस इलाहाबाद, पृष्ठ क्रमांक 167 से 171
5. तिवारी, विजय कुमार, 2004, छत्तीसगढ़ एक भौगोलिक अध्ययन, हिमालया पब्लिशिंग हाउस, मुंबई पृष्ठ क्रमांक, 85
6. पाण्डेय, जे.एन. , 2018 कृषि भूगोल, वसुन्धरा प्रकाशन, गोरखपुर, पृष्ठ क्र. 155, 159

सारणी क्र. 1: छत्तीसगढ़ राज्य : भूमि उपयोग प्रतिरुप 2020 से 2022

क्र.	भूमि उपयोग	2019-20		2020-21		2021-22		औसत	
		क्षेत्रफल हे.	प्रतिशत	क्षेत्रफल हे.	प्रतिशत	क्षेत्रफल हे.	प्रतिशत	क्षेत्रफल हे.	पृष्ठ के कुल क्षेत्र का प्रतिशत
1	वन क्षेत्रफल	44,07,093	37.07	47,11,443	38.66	47,57,065	38.87	46,25,200	38.21
2	कृषि के लिए जो भूमि अयोग्य है	10,37,468	8.72	10,38,624	8.52	10,38,114	8.48	10,38,069	8.57
(क)	गैर कृषि भूमि	7,50,203	6.31	7,51,095	6.16	7,43,920	6.07	7,48,406	6.18
(ख)	ऊसर भूमि	2,87,265	2.41	2,87,529	2.36	2,94,194	2.41	2,89,663	2.39
3	अकृषि भूमि जिसमें पड़ती सम्मिलित नही है।	12,62,248	10.62	1,258,599	10.32	12,78,334	10.44	12,66,393	10.47
(क)	चरागाह व घास का मैदान	8,93,044	7.51	8,95,107	7.34	8,92,817	7.30	8,93,656	7.39
(ख)	झाड़ियों के झुण्ड तथा बाग	2,745	0.02	2,828	0.02	2,544	0.02	2,706	0.02
(ग)	कृषि योग्य बेकार भूमि	3,66,459	3.08	3,60,664	2.96	3,82,973	3.12	3,70,032	3.06
4	पड़ती भूमि	5,46,517	4.60	5,55,502	4.56	5,35,429	4.38	5,45,816	4.51
5	फसल का निराक्षेत्र फल	46,35,340	38.99	46,22,725	37.94	46,30,966	37.83	46,29,677	38.24
	योग :-	1,18,88,666	100	1,21,86,893	100	1,22,39,908	100	1,21,05,155	100

स्त्रोत:-कृषि सांख्यिकी ,आयुक्त भू-अभिलेख, रायपुर (छ.ग.)

सारणी क्र. 02: छत्तीसगढ़ राज्य : जिलेवार भूमि उपयोग प्रतिरुप वर्ष 2020-22 प्रतिशत

क्र.	जिलाका नाम	राजस्व वन	वन क्षेत्र	ऊसर व गैर मुमकिन भूमि	कृषि के लिए जो भूमि उपलब्ध नहीं है	कृषि योग्य पड़ती भूमि	मुस्तकील व दीगर चारागाह	झाड़ियों के झुण्ड तथा बाग	पड़ती भूमि	फसल का निरा क्षेत्रफल
1	रायपुर	0.56	0.43	0.12	17.04	7.27	12.66	0.02	5.68	56.62
2	बलौदाबाजार	3.27	23.15	2.59	6.60	2.15	7.74	0.00	2.99	51.51
3	गरियाबंद	15.37	45.77	0.68	3.90	0.97	5.24	0.00	1.69	28.38
4	महासमुन्द	6.24	22.16	1.21	7.51	1.05	6.18	0.00	3.01	52.64
5	धमतरी	3.75	48.02	0.37	7.32	0.69	4.00	0.00	1.16	34.69
6	दुर्ग	0.00	0.00	2.00	15.53	4.84	8.41	0.04	5.11	64.07
7	बालोद	9.79	20.36	1.29	8.95	2.31	3.80	0.01	2.53	51.09
8	बेमेतरा	0.00	0	0.00	8.73	1.44	8.24	0.00	2.41	79.18
9	राजनांदगांव	12.12	19.91	2.20	6.37	2.60	6.42	0.03	4.69	46.20
10	कबीरधाम	5.76	35.84	2.24	4.74	0.66	6.52	0.01	2.35	41.88
11	बस्तर	14.23	36.35	3.28	4.34	6.02	4.24	0.22	4.41	26.92
12	कोंडागांव	28.45	39.84	2.54	1.87	1.64	2.28	0.00	1.32	22.06
13	नारायणपुर	1.90	88.17	0.23	0.45	2.00	2.00	0.00	1.61	3.64
14	कांकेर	14.80	28.84	3.00	4.92	5.82	10.43	0.00	3.74	28.45
15	दन्तेवाड़ा	9.66	33.60	8.04	3.57	8.74	1.24	0.00	9.22	25.93
16	सुकमा	24.32	36.31	2.05	1.46	10.36	4.19	0.01	3.74	16.56
17	बीजापुर	47.54	27.22	0.99	2.87	6.31	1.36	0.00	1.32	12.39
18	बिलासपुर	9.93	20.20	0.88	6.70	2.97	10.50	0.01	3.54	45.18
19	गौरेला पेण्ड्रा मरवाही	30.30	30.89	2.30	2.00	1.37	3.17	0.00	3.49	26.48
20	मुंगेली	0.70	40.39	0.93	4.04	0.00	6.41	0.00	1.55	46.82
21	जांजगीर चांपा	2.21	17.72	0.53	7.40	2.68	8.48	0.02	2.49	58.47
22	कोरबा	26.39	39.62	4.33	3.35	2.88	3.58	0.01	2.83	17.01
23	रायगढ़	9.08	22.63	2.20	9.05	1.14	10.28	0.00	6.81	38.81
24	सरगुजा	22.63	25.26	1.02	5.53	0.00	9.30	0.00	6.06	30.20
25	बलरामपुर	12.24	36.73	0.27	4.93	0.00	14.65	0.01	5.26	25.91
26	सूरजपुर	3.06	44.25	0.24	5.70	0.00	10.60	0.00	5.66	30.49
27	कोरिया	7.94	58.77	2.24	4.19	0.00	5.59	0.00	5.31	15.96
28	जशपुर	8.75	26.88	8.14	3.91	1.56	6.53	0.00	6.70	37.53
	योग्य राज्य	**13.13**	**32.40**	**2.08**	**5.27**	**2.71**	**6.33**	**0.39**	**3.41**	**34.28**

स्त्रोत:-कृषि सांख्यिकी ,आयुक्त भू-अभिलेख, छ.ग. रायपुर

सारणी क्र. 4: छत्तीसगढ़ राज्य जिलेवार विभिन्न स्त्रोतों से सिंचित क्षेत्रफल प्रतिशत में

क्र.	जिला का नाम	नहरो से		नलकुपो से		तालाबों से		कुओं से		अन्य स्त्रोतो से		योग
		कुल	निराक्षेत्र	कुल	निराक्षेत्र	कुल	निराक्षेत्र	कुल	निराक्षेत्र	कुल	निराक्षेत्र	
1	रायपुर	72.75	80.18	24.95	17.34	1.27	1.43	0.05	0.05	0.98	0.99	100
2	बलौदाबाजार	66.32	72.97	25.69	19.11	0.86	0.70	0.77	0.77	6.36	6.43	100
3	गरियाबंद	48.45	59.40	48.65	37.25	0.63	0.76	0.15	0.17	2.12	2.42	100
4	महासमुन्द	25.30	34.41	71.35	61.49	1.80	2.00	0.08	0.11	1.47	1.99	100
5	धमतरी	69.95	72.57	28.89	26.21	0.08	0.11	0.42	0.45	0.66	0.66	100
6	दुर्ग	41.34	51.26	56.81	40.15	0.23	0.33	0.07	0.10	1.55	2.15	100
7	बालोद	53.23	70.07	42.72	24.58	2.11	2.79	0.26	0.35	1.68	2.21	100
8	बेमेतरा	5.35	10.55	93.51	87.23	0.84	1.63	0.01	0.01	0.29	0.58	100
9	राजनांदगांव	22.18	29.00	70.67	64.28	1.03	0.93	0.44	0.49	5.68	5.30	100
10	कबीरधाम	18.97	29.89	81.03	70.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100
11	बस्तर	9.01	9.01	53.67	53.67	1.37	1.37	1.33	1.33	34.61	34.62	100
12	कोंडागांव	0.78	0.78	66.52	66.52	1.62	1.63	0.63	0.64	30.42	30.43	100
13	नारायणपुर	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100
14	कांकेर	4.24	6.68	95.59	93.06	0.15	0.25	0.00	0.015	0.00	0.00	100
15	दन्तेवाड़ा	0.00	0.00	97.81	97.81	0.54	0.54	1.65	1.65	0.00	0.00	100
16	सुकमा	0.00	0.00	79.25	79.26	0.58	0.58	0.14	0.14	20.02	20.02	100
17	बीजापुर	0.00	0.00	1.88	1.88	96.53	96.53	0.46	0.46	1.13	1.13	100
18	बिलासपुर	53.91	63.18	44.96	35.44	0.93	1.14	0.20	0.24	0.00	0.00	100
19	गौरेला पेण्ड्रा मरवाही	23.88	22.22	66.43	68.96	1.11	1.48	5.19	5.15	3.39	2.19	100
20	मुंगेली	50.66	73.00	40.31	27.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	100
21	जांजगीर चांपा	86.45	86.45	12.36	12.36	0.63	0.63	0.03	0.03	0.53	0.53	100
22	कोरबा	69.54	69.54	13..51	13.50	6.27	6.26	7.24	7.24	3.44	13.87	100
23	रायगढ़	26.86	43.24	57.98	34.01	4.87	7.88	1.08	0.99	9.21	13.88	100
24	सरगुजा	21.06	21.24	32.24	31.63	2.96	2.88	6.29	6.02	37.45	38.23	100
25	बलरामपुर	17.93	18.48	1.81	1.68	18.35	17.38	12.87	12.04	49.04	50.42	100
26	सूरजपुर	3.20	3.66	52.58	53.38	5.88	5.92	14.21	13.81	24.13	23.23	100
27	कोरिया	28.50	27.43	42.44	42.93	1.69	1.83	10.22	10.19	17.15	17.62	100
28	जशपुर	44.48	44.84	1.79	1.71	1.85	1.75	15.76	15.82	36.10	35.88	100
	योग्य राज्य	**44.58**	**56.16**	50.40	37.90	**1.26**	**1.55**	**0.63**	**0.71**	**3.13**	3.68	100

स्त्रोत:-कृषि सांख्यिकी ,आयुक्त भू-अभिलेख, छ.ग. रायपुर

****